लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश

Email ID : dpiucr2023@gmail.com

क्रमांक–यूसीआर / सी / 85 / प्रा.मा.शि. / 2025–26 / 356 भोपाल, दिनांक 02 / 03 / 2026

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्य प्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   मध्य प्रदेश।

विषयः–माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओ के शिक्षको को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने बावत्।

––00––

विषयान्तर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1385 / 2025, 1386 / 2025 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 01 सितम्बर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करने वाले अध्यापकों को आगामी दो वर्षो में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में शिक्षक, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते है एवं उनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष हो तो ऐसे शिक्षको को स्वयं सेवानिवृत्त होने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने संबंधी आदेश दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है :–

Insofar as in-service teachers recruited prior to enactment of the RTE Act and having more than 5 years to retire on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TET within 2 years from date in order to continue in service. If any of such teachers fail to qualify the TET within the time that we have allowed, they shall have to quit service. They may be compulsorily retired; and paid whatever terminal benefits they are entitled to. We add a rider that to qualify for the terminal benefits, such teachers must have put in the qualifying period of service, in accordance with the rules. If any teacher has not put in the qualifying service and there is some deficiency, his/her case may be considered by the appropriate department in the Government upon a representation being made by him/her.

Subject to what we have said above, it is reiterated that those aspiring for appointment and those in-service teachers aspiring for appointment by promotion must, however, qualify the TET; or else, they would have no right of consideration of their candidature.

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गो के शिक्षको हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन माह जुलाई एवं अगस्त 2026 में सम्भावित है। अतः ऐसे सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गो के शिक्षको को जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नही है को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संचालक

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

पृष्ठा. क्र–यूसीआर / सी / 85 / प्रा.मा.शि. / 2025–26 / 357 भोपाल, दिनांक 02 / 03 / 2026

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग सतपुडा भवन भोपाल मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ।

संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश